भारत में लोक प्रशासन, नौकरशाही एवं समावेशी विकास का अध्ययन

***डॉ आशुतोष मीणा**

सारांश :

भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। लोक प्रशासन सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है, जबकि नौकरशाही प्रशासनिक तंत्र के रूप में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में समावेशी विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों—गरीब, ग्रामीण, महिलाएँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति—को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, डिजिटल इंडिया तथा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रशासनिक अक्षमता जैसी समस्याएँ विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस एवं जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

बीज शब्द : नौकरशाही **,** समावेशी विकास, डिजिटल इंडिया, राजनीतिक हस्तक्षेप , प्रशासनिक अक्षमता।

1. प्रस्तावना

लोक प्रशासन किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है। यह सरकार की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को दिशा प्रदान करता है। प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सरकार जनता तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाएँ पहुँचाती है। इसी प्रशासनिक ढाँचे का एक प्रमुख अंग नौकरशाही है, जो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

नौकरशाही का अर्थ ऐसे प्रशासनिक तंत्र से है जिसमें प्रशिक्षित और स्थायी अधिकारी नियमों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक संगठित एवं तर्कसंगत प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय संदर्भ में भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय

पुलिस सेवा तथा अन्य प्रशासनिक संस्थाएँ शासन संचालन का मुख्य आधार हैं। ये संस्थाएँ नीति निर्माण, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के संचालन तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। समावेशी विकास का आशय ऐसे विकास से है जिसमें समाज के सभी वर्गों—गरीब, महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा ग्रामीण जनसंख्या—को समान अवसर और लाभ प्राप्त हों। केवल आर्थिक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने चाहिए। भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मनरेगा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी अनेक योजनाएँ लागू की हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन में प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

यह शोध इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक अक्षमता जैसी समस्याएँ विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही की प्रभावशीलता का अध्ययन करना अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह शोध भारत में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका, उसकी चुनौतियों तथा समावेशी विकास में उसके योगदान का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

2. शोध के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही की भूमिका का व्यापक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में दिए गए योगदान का विश्लेषण किया जाएगा। शोध का उद्देश्य नौकरशाही के कार्यों, उसकी प्रभावशीलता तथा नीति क्रियान्वयन में उसकी भूमिका का मूल्यांकन करना भी है। साथ ही, समावेशी विकास को बढ़ावा देने में प्रशासनिक संस्थाओं के योगदान का अध्ययन किया जाएगा। यह शोध प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद प्रमुख चुनौतियों, जैसे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, का विश्लेषण करते हुए प्रशासनिक सुधारों एवं सुशासन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेगा।

इस शोध में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन के लिए लोक प्रशासन, नौकरशाही एवं समावेशी विकास से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, जर्नलों तथा प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रशासनिक एवं विकास संबंधी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, पंचवर्षीय योजनाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेजों का भी अध्ययन किया जाएगा।

3. साहित्य समीक्षा

लोक प्रशासन एवं नौकरशाही पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वुडरो विल्सन (1887) को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया तथा प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व पर बल दिया। एल. डी. व्हाइट (1926) ने लोक प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार प्रशासन सरकार

और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। नौकरशाही की अवधारणा को सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से मैक्स वेबर (1947) ने प्रस्तुत किया। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक तर्कसंगत, नियम-आधारित एवं पदानुक्रमित प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें कार्य विभाजन, अनुशासन और निष्पक्षता प्रमुख तत्व होते हैं। उन्होंने माना कि आधुनिक राज्य के कुशल संचालन के लिए नौकरशाही आवश्यक है। हालांकि, बाद में रॉबर्ट के. मर्टन (1957) ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा कि अत्यधिक नियमबद्धता लालफीताशाही और प्रशासनिक जड़ता को जन्म देती है।

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अनेक शोध किए गए हैं। पॉल एच. एप्पलबी (1953) ने भारतीय प्रशासन को विकासोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। एम. पी. शर्मा (1978) ने भारतीय लोक प्रशासन की संरचना, कार्यप्रणाली और चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन किया। एस. आर. महेश्वरी (2005) ने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार तथा जवाबदेही की समस्याओं को रेखांकित किया। समावेशी विकास एवं सुशासन पर विश्व बैंक (1992) ने सुशासन को विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (1997) के अनुसार सुशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता आवश्यक तत्व हैं। भारत में नीति आयोग (2018) ने समावेशी विकास को गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और समान अवसरों से जोड़ा है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन एवं नौकरशाही पर व्यापक शोध हुए हैं, किंतु भारतीय संदर्भ में नौकरशाही, सुशासन और समावेशी विकास के पारस्परिक संबंधों का समग्र अध्ययन सीमित है। विशेष रूप से प्रशासनिक सुधारों के प्रभाव एवं डिजिटल प्रशासन की भूमिका पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। यही इस शोध का प्रमुख शोध अंतराल है।

4. सैद्धांतिक ढाँचा

इस शोध का सैद्धांतिक आधार लोक प्रशासन, नौकरशाही एवं समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली, विकास प्रक्रिया तथा सुशासन की अवधारणा को समझा जा सकता है।

सबसे प्रमुख सिद्धांत मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है। वेबर (1947) के अनुसार नौकरशाही एक तर्कसंगत एवं नियम-आधारित प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें कार्य विभाजन, पदानुक्रम, अनुशासन तथा निष्पक्षता प्रमुख तत्व होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और वे निर्धारित नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। वेबर ने माना कि आधुनिक राज्य के कुशल संचालन एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नौकरशाही आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा अन्य प्रशासनिक संस्थाएँ नियमों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करती हैं। हालांकि, अत्यधिक नियमबद्धता के कारण लालफीताशाही और निर्णय लेने में विलंब जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सुशासन सिद्धांत (Good Governance Theory) है। यह सिद्धांत 1990 के दशक में विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रमुख रूप से विकसित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रभावी प्रशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, जनसहभागिता, कानून का शासन तथा प्रशासनिक दक्षता आवश्यक हैं। सुशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। भारत में ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे प्रयास सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

तीसरा सिद्धांत विकास प्रशासन सिद्धांत (Development Administration Theory) है, जिसे एफ. डब्ल्यू. रिग्स तथा एडवर्ड वेडनर ने विकसित किया। यह सिद्धांत प्रशासन को केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न मानकर विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसके अनुसार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाना तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5. भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही का विकास

भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही का विकास ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना तथा राजस्व संग्रह करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रशासनिक ढाँचे की शुरुआत हुई, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने अधिक संगठित रूप दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सिविल सेवा की नींव रखी। भारतीय सिविल सेवा (ICS) को ब्रिटिश शासन की "स्टील फ्रेम" कहा जाता था। इस प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी सीमित थी तथा इसका उद्देश्य जनता के कल्याण की अपेक्षा शासन नियंत्रण बनाए रखना था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। संविधान लागू होने के साथ प्रशासन को लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान ने समानता, सामाजिक न्याय एवं जनकल्याण को प्रशासन का आधार बनाया। स्वतंत्र भारत में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, विकास एवं सुशासन को सुनिश्चित करना था। प्रशासनिक संस्थाओं को केवल कानून एवं व्यवस्था तक सीमित न रखकर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया। पंचवर्षीय योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रशासन की भूमिका और अधिक व्यापक हुई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत की प्रमुख अखिल भारतीय सेवा है, जो नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था, राजस्व प्रशासन तथा जनकल्याणकारी

कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में भारतीय प्रशासनिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा लालफीताशाही जैसी समस्याएँ इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती रही हैं।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वाँ संविधान संशोधन एवं 74वाँ संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता बढ़ाना तथा विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना था। विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रशासन को जनता के निकट लाने तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।

6. समावेशी विकास में नौकरशाही की भूमिका

भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासनिक तंत्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है। आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरशाही विकास प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होती है।

(क) आर्थिक विकास

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, के प्रभावी क्रियान्वयन में नौकरशाही की प्रमुख भूमिका रही है। प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक रहे हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कृषि विकास कार्यक्रमों के संचालन में भी प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

(ख) सामाजिक विकास

सामाजिक विकास के क्षेत्र में नौकरशाही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं का संचालन प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा एकीकृत बाल विकास योजना, के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए संचालित सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ग) डिजिटल प्रशासन

आधुनिक समय में डिजिटल प्रशासन ने सुशासन को मजबूत किया है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रशासनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित किया है। ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल भुगतान एवं आधार आधारित सेवाओं ने भ्रष्टाचार को कम करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाने में सहायता की है। डिजिटल प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनसहभागिता को बढ़ावा मिला है, जिससे समावेशी विकास की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनी है।

7. प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ प्रशासनिक दक्षता एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को कमजोर करता है। रिश्वतखोरी, संसाधनों का दुरुपयोग तथा योजनाओं में अनियमितताएँ विकास प्रक्रिया को बाधित करती हैं। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता।

लालफीताशाही भी प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्रमुख चुनौती है। अत्यधिक नियमों, जटिल प्रक्रियाओं तथा अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण निर्णय लेने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। इससे जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए गंभीर चुनौती माना जाता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डाला जाता है, जिससे नीति क्रियान्वयन की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इससे प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व कम हो सकता है। प्रशासनिक अक्षमता भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों की कमी के कारण कई बार प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते। इससे विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं परिणाम प्रभावित होते हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी असमानता भी समावेशी विकास के मार्ग में बाधा है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी अधिक दिखाई देती

है। प्रशासनिक संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को बढ़ाता है, जिससे समावेशी विकास का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता।

8. प्रशासनिक सुधार एवं सुझाव

भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुख बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्षता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सबसे पहले प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी जनता तक स्पष्ट रूप से पहुँचनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को कम किया जा सकता है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा।

ई-गवर्नेंस को मजबूत करना भी प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण उपाय है। डिजिटल तकनीकों के उपयोग से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे प्रक्रियाएँ सरल एवं पारदर्शी बनेंगी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा नागरिकों को सेवाएँ शीघ्र प्राप्त होंगी। लोक सेवकों के नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को नई तकनीकों, नीति निर्माण एवं जनसंपर्क कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, ताकि वे बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सकें। नागरिक सहभागिता बढ़ाना भी सुशासन का महत्वपूर्ण तत्व है। विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने से प्रशासन अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी बन सकता है। ग्राम सभाओं, सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त नीति क्रियान्वयन में सुधार आवश्यक है। योजनाओं की नियमित निगरानी, मूल्यांकन एवं संसाधनों के उचित उपयोग से विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

9. निष्कर्ष

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि भारत में लोक प्रशासन एवं नौकरशाही सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशी विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रशासनिक तंत्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर समाज के विभिन्न वर्गों तक विकास के लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में नौकरशाही की केंद्रीय भूमिका रही है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक अक्षमता जैसी चुनौतियाँ प्रशासनिक प्रभावशीलता

को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना आवश्यक है। समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए प्रशासन को अधिक जनोन्मुख, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा। भविष्य में डिजिटल प्रशासन, नागरिक सहभागिता तथा सुशासन के माध्यम से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी।

***एसोसिएट प्रोफ़ेसर-लोक प्रशासन**
राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान,
दौसा (राजस्थान)

10. संदर्भ सूची

1. मैक्स वेबर. (1947): *सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का सिद्धांत*, न्यूयॉर्क, फ्री प्रेस। पृ. 324–356।
2. एम. पी. शर्मा. (1978). *भारत में लोक प्रशासन*। नई दिल्ली: किटाब महल। पृ. 45–78।
3. एस. आर. महेश्वरी. (2005). *भारतीय प्रशासन*। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान। पृ. 112–145।
4. ए. अवस्थी, & एस. आर. महेश्वरी. (2012). *लोक प्रशासन*। आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। पृ. 88–120।
5. वुडरो विल्सन. (1887): द स्टडी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन , पोलिटिकल साइंस क्वार्टरली, 2(2), 197–222। पृ. 201–210।
6. एफ. डब्ल्यू. रिग्स. (1964): एडमिनिस्ट्रेशन *इन डेवलपिंग कन्ट्रीज,* बोस्टन, हॉटन मिफ्लिन। पृ. 67–95।
7. विश्व बैंक. (1992): गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, वाशिंगटन डी.सी., वर्ल्ड बैंक। पृ. 1–25।
8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (1997): *गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन* डेवलपमेंट, न्यूयॉर्क, यूएनडीपी। पृ. 9–18।
9. नीति आयोग. (2018): *भारत में समावेशी विकास रिपोर्ट*। नई दिल्ली, भारत सरकार। पृ. 34–60।
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम. (2005): *मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट*। नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पृ. 22–41।
11. डिजिटल इंडिया. (2019): *डिजिटल गवर्नेंस एवं सेवा वितरण रिपोर्ट*। नई दिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पृ. 40–65।

12. 73वाँ संविधान संशोधन. (1992): *पंचायती राज अधिनियम दस्तावेज*। नई दिल्ली, भारत सरकार। पृ. 10–28।

13. 74वाँ संविधान संशोधन. (1992): *नगरपालिका प्रशासन अधिनियम दस्तावेज*। नई दिल्ली, भारत सरकार। पृ. 14–30।

14. भारत सरकार. (2021): *आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21*। नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय। पृ. 101–130।

15. भारत सरकार. (2022): *भारत विकास रिपोर्ट*। नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग। पृ. 70–95।

16. रॉबर्ट के. मर्टन. (1957): सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर , न्यूयॉर्क, फ्री प्रेस। पृ. 195–206।

17. पॉल एच. एप्पलबी. (1953):पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया : रिपोर्ट ऑफ़ ए सर्वे , नई दिल्ली, भारत सरकार प्रेस। पृ. 50–84।